Guidelines for I.R.D.P.

*215. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to change the guidelines for I.R.D.P.; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) The Integrated Rural Development Programme is an ongoing programme whose features are reviewed and modified from time to time for improving its implementation. At present there is no proposal under Government's consideration to change the guidelines.

(b) Question does not arise.

Fresh letter of approval for IBM-TATA joint venture

*216. SHRI YASHWANT SINHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have issued a fresh letter of approval for the IBM-TATA joint venture superseding the earlier one;

(b) if so, the terms and conditions which have been changed in the revised letter of approval; and

(c) what are the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KUREIN): (a) Yes, Sir.

(b) Mainly, the changes relate to the duration of collaboration agreement and royalty payment.

(c) The changes would facilitate continued access to developments in computer hardware technology and software from the foreign collaborator.

लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाया जाना

*217. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा है कि लाइसेंस प्रक्रिया को और उदार बनाया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से उद्योग हैं जिनकी लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाया जाएगा ;

(ग) क्या सरकार चीनी उद्योग तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से बाहर रखेगी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) से (घ) सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के अधीन 18 उद्योगों की छोटी सी सूची को छोड़कर सभी उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। अन्य उत्पादों के साथ-साथ चीनी, अल्कोहलिक पेय पदार्थों का डिस्टीलेसन और ब्रुइंग, सिगार और सिगरेट जैसे तम्बाकू उत्पाद और लकड़ी पर आधारित उत्पाद इस सूची में शामिल हैं । इन उत्पादों को अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन रखने का कारण या तो सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी है अथवा जन-साधारण का स्वास्थ्य है । इन उत्पादों को लाइसेंसीकरण से निकालने के लिए सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है ।